कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई।

संख्या : 3011 /7–भूलेख/2017 दिनांक: 16 अगस्त, 2017

विषयः– **प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु अभियान।**

समस्त उप जिलाधिकारी
जनपद–हरदोई।

कृपया आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग–4, लखनऊ के पत्रांक–4629/4–1ए–17(वरासत) दिनांक 14 अगस्त, 2017(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु अभियान निम्न समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाएगा :–

क0	अभियान कार्यक्रम	निर्धारित तिथियॉं
1–	भ्रमण/सत्यापन कार्यक्रम निर्गत कर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार	16–8–2017 से 21–8–2017
2–	क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व ग्रामों में खतौनियों का पढ़ा जाना तथा मृत पाये गये खातेदारों/ऐसी स्त्री खातेदारों जिन्होने उत्तराधिकार में भूमि प्राप्त की है व उनके द्वारा विवाह/पुनर्विवाह कर लिया गया है, के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण आर0सी0 प्रपत्र–9(क) में भरा जाना।	22–8–2017 से 01–9–2017 तक
3–	राजस्व निरीक्षकों द्वारा आर0सी0प्रपत्र–9(क) की जांच कर निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु आदेश धारा–33(2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाना तथा राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा इन आदेशों को कम्प्यूट्रीकृत खतौनी में प्रविष्टि कराते हुये उसकी नकलें निर्गत करना।	01–9–2017 से 30–9–2017 तक
4–	जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में परिषद की वेबसाइट पर फीड करना।	16 अक्टूबर 2017 31 अक्टूबर 2017 व 15 नवम्बर 2017
5–	राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा तहसील में इस परिपत्र के प्रस्तर–5.7 के अनुसार प्रमाण पत्र जमा किया जाना	05–10–2017 तक
6–	इस परिपत्र के प्रस्तर–5.8 के अनुसार जनपद की प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें जनपद स्तरीय अधिकारियों से जांच कराया जाना।	10–10–2017 से 16–10–2017

2– परिषदादेश के प्रस्तर 5.4 में निर्देश दिये गये हैं कि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को विशेष रुप से निर्देशित किया जाए कि वे राजस्व निरीक्षक द्वारा आयोजित ग्राम राजस्व समिति की बैठक में परिवार रजिस्टर, जन्म–मृत्यु रजिस्टर व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के साथ उपस्थित रहें ताकि राजस्व अभिलेखों एवं पंचायती राज विभाग के अभिलेखों में एकरुपता रहे और दोनो विभागों द्वारा रक्षित अभिलेखों को एक ही साथ अद्यावधिक किया जा सके।

अतः परिषदादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(बिपिन कुमार मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
हरदोई।

Abhiyan

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– आयुक्त एवं सचिव महोदया, मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग–4, लखनऊ।

2– आयुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

3– जिलाधिकारी महोदया, हरदोई।

4– जिला विकास अधिकारी, हरदोई।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई।

6– जिला सूचना अधिकारी, हरदोई को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत् समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरदोई को उक्त कार्यक्रम को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

8– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारियो/ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि वह वरासत अभियान में (पत्र मे वर्णित) राजस्व कर्मियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुये अभिलेख अद्यावधिक करें।

(7)

30/11

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरदोई

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
हरदोई।

Abhiyan